सार्वजनिक सूचना

वन विभाग हिमाचल प्रदेश में वन रक्षकों की अनुबन्ध आधार पर भर्ती

चम्बा वन वृत चम्बा।

चम्बा वन वृत में अनुबन्ध के आधार पर (on contract basis) वन रक्षकों के कुल 13 (अचयन/non-selection) पदों के लिए सीधी भर्ती हेतू सलंग्न निर्धारित प्रपत्र पर आवदेन वृत स्तर पर आमन्त्रित किये जाते हैं। यह भर्ती सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या एफएफई–ए(बी)2–3/2016 दिनांक 12.07.2019 एवं हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना FFE-A(B)2-23/2010 दिनांक 20.09.2014, FFE-A(B)2-23/2010-I दिनांक 08.07.2016, FFE-A(B)2-8/2017 दिनांक 26.08.2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश वन विभाग, वन रक्षक वर्ग–III] (अराजपत्रित), कार्यपालक अनुभाग, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2014 और संशोधित नियम 2016 व हि0 प्र0 सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः Per(AP.B)B(15)-5/2014 dated 17.04.2017 व 25.04.2017 के आधार पर की जा रही है। यह भर्ती खुली है और वन वृत स्तर पर की जा रही है। अभ्यार्थी का नाम हिमाचल प्रदेश में किसी भी रोज़गार कार्यालय/उप–रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार, श्रम एवं रोज़गार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्याः श्रम(एफ)16–5/93, तारीख 9 मार्च, 2000 में अंतर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसरण में रोज़गार कार्यालयों/उप रोज़गार कार्यालयों को रिक्तियां अधिसूचित करने के अतिरिक्त खुले आवेदन भी आमंत्रित किये जा रहे हैं। वन रक्षकों के भर्ती एवं प्रोन्नती नियम हिमाचल प्रदेश वन विभाग की **website hpforest.nic.in** में उपलब्ध हैं।

इस प्रकार नियुक्त वन रक्षक को (5910/– रूपये मूल वेतन +2000/– ग्रेड पे व ग्रेड पे पर 125 प्रतिशत बढ़ौतरी) मासिक का निर्धारित (fixed) भुगतान किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को अनुबन्ध के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा। जिसका वर्षानुवर्ष नवीकरण अवधि विस्तार, वर्ष के दौरान संतोषजनक सेवा और आचरण सम्बन्धित अरण्यपाल द्वारा प्रमाणित करने के उपरान्त किया जाएगा। यदि अनुबन्ध में एक वर्ष की या उससे अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पशचातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए अनुबन्ध राशि में सेवा नियमानुसार तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देने का प्रावधान है।

वन रक्षक का पद वृत स्तरीय संवर्ग का है। नवनियुक्त वन रक्षकों की पहली तैनाती जन जातीय/दूर्गम क्षेत्रों में पद उपलब्धता के आधार पर प्रावधित है। यदि आवेदक वन विभाग में भर्ती होने का इच्छुक हो और निर्धारित शर्तों एवं योग्यता पूरी करता हो तो निर्धारित प्रपत्र पर हस्तरूप (Manually) तथा डाक द्वारा व On online आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपना आवदेन पत्र वन वृत कार्यालय में डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप में भी जमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वन विभाग की लिंक **http://forp.hp.gov.in में भी online** आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र पर प्रार्थी द्वारा **e mail ID/Mobile Number** लिखना आवश्यक है। Online आवेदन की अन्तिम तिथि 08 नवम्बर 2019 और समय सायं 5 बज़े तक है। जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र के उम्मीदवार दिनांक 11.नवम्बर 2019 प्रातः 10.00 बजे तक Online आवेदन कर सकते है व डाक द्वारा 15 नवम्बर 2019 सायं 5.00 बजे तक आवेदन कर सकते है। महिला उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। जो पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं वो भूतपूर्व सैनिक बोर्ड के माध्यम से ही लिए जाएंगे। यदि कोई आवेदक हस्तरूप (Manually/By Post) व Online दोनों तरह से आवेदन करता है तो उसका आवेदन रदद् किया जा सकता है चम्बा वन वृत में श्रेणीबार उपलब्ध पदों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

श्रेणी	अनारक्षित	गृह रक्षक	भूतपूर्व सैनिक	कुल योग
सामान्य	5	0	1	**6**
अनुसूचित जाति	2	1	0	**3**
अनुसूचित जन जाति	0	0	1	**1**
अन्य पिछड़ी जाति	1	1	0	**2**
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS)	1	0	0	**1**
योग	**9**	**2**	**2**	**13**

I-पात्रता की आवश्यक शर्तें एवं योग्यताएंः–

1. उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।

2. उम्मीदवार का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत/ नवीनकृत (Renewal) होना अनिवार्य है।

3. उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
5. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो (10+2) की कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उतीर्ण की होनी चाहिए।

6. उम्मीदवार को हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान होना चाहिए और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना चहिए।

7. यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतू आरक्षित पद पर योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में आरक्षित पद स्वंयता अनारक्षित समझा जाएगा व इस पद को सम्बन्धित अनारक्षित उम्मीदवार से भर लिया जाएगा।

न्यूनतम शारीरिक मापदण्डः–

मापदण्ड				पुरूष		महिला	
1)	लम्बाई			165	सैं0मी0	150	सैं0मी0
2)	छाती	(क)	बिना फुलाए	79	सैं0मी0	74	सैं0मी0
		(ख)	फुलाकर	84	सैं0मी0	79	सैं0मी0

नोटः– अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की बावत शारीरिक मापदण्ड लम्बाई में 5 सैं0मी0 तथा छाती को फुलाए बिना और फुलाकर प्रत्येक की बावत माप में 4 सैं0 मी0 की छूट दी जाएगी।

II-भर्ती प्रकियाः–

1. **शारीरिक दक्षता परीक्षण (टैस्ट)(पी ई टी) केवल अर्हक परीक्षण (टैस्ट) होगा।**
   वे उम्मीदवार जो उपरोक्त शारीरिक मापदण्ड पूर्ण करते हों, उन्हें निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण, निम्न तालिका अनुसार किया जाएगा।

(i) **पुरूष अभ्यार्थियों के लिएः–**

क्रम सं0	मद	न्यूनतम मापदण्ड	टिप्पणियां
1.	100 मीटर की दौड़	14 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा।	केवल अर्हक
2.	800 मीटर की दौड़	2 मिनट 45 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा।	केवल अर्हक
3.	उंची कूद	1.25 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिये जाएगें)	केवल अर्हक
4.	लम्बी कूद (ब्राड जम्प)	4 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिये जाएगें)।	केवल अर्हक

(ii) **महिला अभ्यार्थियों के लिएः–**

1.	100 मीटर की दौड़	17 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा)।	केवल अर्हक
2.	800 मीटर की दौड़	4 मिनट 15 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा)।	केवल अर्हक

3.	उंची कूद	न्यूनतम 1 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिये जाएगें)।	केवल अर्हक
4.	लम्बी कूद (ब्राड जम्प)	3 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिये जाएगें)।	केवल अर्हक

2. लिखित परीक्षा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए संचालित की जाएगी जो उपरोक्त अधिकथित मापदण्डों (नॉर्मज) के अनुसार शारीरिक दक्षता (टैस्ट) उत्तीर्ण करते हों। लिखित परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा, सामान्य विज्ञान एवं गणित दसवीं स्तर के वन, पर्यावरण एवं वन्य जीव के बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान, तर्क–वितर्क आदि के 85 वस्तुनिष्ठ प्रकार (ऑबजैक्टिव टाईप) के प्रश्नों से समाविष्ट, 85 अंको की होगी। लिखित परीक्षा की अवधि 75 मिनट की होगी।

लिखित परीक्षा की तिथि एवं स्थान बारे उन्हें शारीरिक दक्षता परिक्षण के बाद सूचित किया जाएगा तथा लिखित परीक्षा राज्य के समस्त वन वृतों में एक ही दिन संचालित की जाएगी। उत्तर पुस्तिका पर इस्तेमाल करने हेतू प्रार्थी को नीली/काली स्याही का बॉल पैन व लिखने के लिए गत्ता लाना अनिवार्य होगा।

मूल्याकंन : उपरोक्त पदो के लिए योग्यता सूची (Merit List) लिखित परीक्षा के अंको व नीचे दर्शाए गए प्रमाण पत्रों, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी0 बी) बी (15)–5/2014 दिनांक 17.04.2017 व 25.04.2017 द्वारा अधिसूचित किया गए हैं, के आधार पर मुल्याकंन किया जाएगा। अतः उम्मीदवारों को निर्देश दिए जाते है कि वह नीचे दिए गए प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियों को स्वयं सत्यापित करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र के साथ आवश्य भेजें। प्रमाण पत्रों के आधार पर अंकों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

	लिखित परीक्षा (लिखित परीक्षा में प्राप्ताकों की प्रतिशतता 85 अकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालें अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएगें)।	85 अंक
1	अभ्यर्थी का मूल्याकंन निम्नलिखित रीति में किया जाना है। (कुल 15 अंक) भर्ती और प्रान्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतू वरीयता। शैक्षिक अर्हता में प्राप्ताकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है, जो उसे 1.25 अंक (50 × 0.025 = 1.25 अनुज्ञात किए जाएंगे)	= 2.5 अंक
2	यथास्थित, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित।	= 01 अंक
3	भूमिहीन कुटुम्ब /एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	= 01 अंक
4	इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण–पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/ अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है।	= 01 अंक
5	40 प्रतिशत विकृति / निःशक्तता/ दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन।	= 01 अंक*
6	एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण पत्र धारक/ भारत स्काउट और गाइड/ राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता।	= 01 अंक
7	सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित 40,000/– से	= 02 अंक

	कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब।	
8	विधवा/ तलाक शुदा/ अंकिंचन/ एकल महिला।	= 01 अंक
9	इकलौती पुत्री/ अनाथ	= 01 अंक
10	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण।	= 01 अंक
11	सरकारी/ अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक)	= 2.5 अंक
	(*क्योंकि वन रक्षक के प्रवर्ग को दिव्यांगजन के लिए तात्पर्यित तीन प्रतिशत आरक्षण से छूट है इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को इस बिन्दु के अधीन कोई अंक नही दिया जाएगा।)	

आवेदकों के लिए निर्देशः–

1. आवदेन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर जो कि अच्छे सफेद कागज पर टाईप या छपा हो या स्वच्छ लिखित हो एवं उम्मीदवार द्वारा स्वंय भरा हुआ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वन विभाग की लिंक http://forp.hp.gov.in में भी online आवेदन कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र में प्रविष्टियां हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में ही स्वीकार्य होगी।
3. आवेदन पत्र मुख्य अरण्यपाल वन वृत चम्बा हिमाचल प्रदेश के नाम पर भरा/भेजा जाए।
4. प्रार्थना पत्र की जांच के उपरान्त उम्मीदवारों को स्थानीय अखबार के माधयम से शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे सूचित किया जाएगा। यदि उम्मीदवारों को किसी कारणवश सूचना नहीं मिल पाती है तो वह शारीरिक दक्षता परीक्षा के शुरू होने से पहले वन वृत कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को सुबह 10 बज़े से 5 बज़े सांय तक सम्पर्क कर सकते हैं।
5. अन्तिम तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आवेदक के हस्ताक्षर बिना प्राप्त आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
7. यदि कोई आवेदन पत्र अधूरा प्राप्त होता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।
8. यदि शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित तिथि को पूर्ण नहीं होती है तो वह अगले दिन भी जारी रहेगी।
9. उम्मीवार शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ मूलरूप में अपने साथ अवश्य लायें:–
   क. मैट्रिक एवं 10+2 पास का प्रमाण पत्र तथा अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
   ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
   ग. एन. सी. सी./एन. एस. एस./खेल, अन्य पाठ्य सहायक क्रियाओं में भाग लेने इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
   घ.रोजगाार कार्यालय में पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
   ड़.पिछड़ा क्षेत्र या पंचायत, भूमिहीन परिवार/ ऐसा परिवार जिनकी भूमि 1 हैक्टयर से कम हो, बेरोजगार प्रमाण पत्र कि अभयार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी एवं अर्ध–सरकारी नौकरी में नही है। बी0 पी0एल0 परिवार जिनकी वार्षिक आय 40,000 हजार से कम या सरकार द्वारा समय–समय पर तय, विधवा / तलाक शुदा / जरूरत मंद / एकल महिला, एकल पुत्री /अनाथ, सम्बन्धित क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण जो कि मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से हो, सम्बन्धित क्षेत्र में सरकारी एवं अर्ध–सरकारी संस्थान से कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
10. जिन अभ्यार्थियों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित आवेदन किया है वे निम्नलिखित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करें।
   क. समस्त स्त्रोतो से परिवार की वार्षिक आय सम्बन्धित प्रमाण पत्र जो कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हो।
   ख. ग्रामीण क्षेत्र में 1 हैक्टयर से कम कृषि योग्य भूमि का प्रमाण पत्र ।
   ग. शहरी क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर से कम कृषि योग्य भूमि का प्रमाण पत्र।
   घ. ग्रामीण/ शहरी क्षेत्र में 2500 वर्ग फीट से कम क्षेत्र में निर्मित रिहायशी मकान /फलैट सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
   ड़. आवेदक के परिवार द्वारा अदा किये जाने वाले आयकर सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

च. आवेदक के परिवार के समस्त सदस्यों सम्बन्धित बेरोजगारी प्रमाण पत्र ।

11. यदि प्रार्थी किसी भी परीक्षण के लिए निर्धारित तिथियों को उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द समझी जाएगी।
12. सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए/बिना शर्त इस चयन प्रक्रिया को समाप्त करने तथा पदों की संख्या में बदलाव का अधिकार रखता है।
13. अनुबन्ध पर नियुक्त अभ्यार्थी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार नहीं होगा।
14. जब उम्मीवार शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतू बुलाये जायेंगे उस समय वह 4 प्रतियां पासपोर्ट साईज़ फोटोग्राफ साथ लायें।
15. जिन उम्मीवारों का निवेदन फार्म किसी भी कारण से निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होता है तो वह मान्य नहीं होगा।

आवेदन भेजने से पहले उपरोक्त शर्तों एवं पूर्ण विज्ञापन का अवलोकन करें।

इस भर्ती की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश के सभी वन/वन्य प्राणी वृतों में हो रही है। अतः निवेदकों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने नज़दीकी वन/वन्यप्राणी वृत में ही आवेदन करें। वन रक्षकों के भर्ती एवं प्रोन्नती नियम हिमाचल प्रदेश वन विभाग की **Website hpforest.nic.in** में उपलब्ध हैं।

अन्य जानकारी के लिए मुख्य अरण्यपाल चम्बा वन वृत के कार्यालय में निम्नलिखित दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

वन वृत चम्बा 01899–222237, 225839

मुख्य अरण्यपाल चम्बा
वन वृत चम्बा।

आवेदक अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएं एवं हस्ताक्षर करें।

फार्म न0......................

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

वन विभाग, हिमाचल प्रदेश

अनुबन्ध के आधार पर वन रक्षक की भर्ती के लिए आवेदन पत्र

भाग–1

(वन–वृत का नाम) **(आवेदक का विवरण)**

1.	नाम	
2.	पिता / पति का नाम	
3.	स्थाई पता	
4.	(क) पत्राचार हेतू पता (ख) दूरभाष / मोबाईल न0 / ई–मेल आई0डी	
5.	पहचान चिन्ह	
6	उम्मीवार किस श्रेणी से सम्बन्ध रखता है: (क) साधारण / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। (ख) आई.आर.डी.पी. / स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चे / पौत्र / पौत्री / प्रतिष्ठित खिलाड़ी इत्यादि। (सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।)	(क).......................... (लागू श्रेणी का नाम) (ख).......................... (लागू श्रेणी का नाम)
7	जन्म तिथी (दसवीं प्रमाण पत्र के अनुसार) आयु दिनांक 01.01.2019 (क) अंको में (ख) शब्दों में (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)	तिथी माह वर्ष [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] ....
8	शैक्षणिक योग्यता 1.दसवीं 2.बारहवीं 3.बी.ए. / बी.एस.सी. / बी कॉम 4. एम.ए. / एम.एस.सी. / एम कॉम 5.अन्य (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)	पास वर्ष, प्राप्त अंक प्रतिशत लिखें ....
9	(क) रोजगार / उपरोजगार कार्यालय का नाम एवं पता (ख) पंजीकरण संख्या	....

	(प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)	

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि मैं वन रक्षक के पद की समस्त शर्तों एवं योग्यता को पूरा करता/करती हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार उपरोक्त दी गई सभी सूचना सही और विश्वसनीय है और यह कि मैंने हिमाचल प्रदेश के किसी अन्य वृत में वन रक्षक की भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं समझता/समझती हूं कि यदि कोई उपरोक्त तथ्य गलत पाएं जाते हैं तो मेरा/मेरी उम्मीदवारी आयोग्य घोषित की जा सकती है एवं/अथवा किसी भी स्तर पर मेरे विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक......................

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नोटः

1. प्रमाण पत्र का स्वयं सत्यापन मान्य होगा।
2. Online आवेदन की अन्तिम तिथि 08 नवम्बर 2019 और समय सायं 5 बज़े तक है। जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र के उम्मीदवार दिनांक 11.नवम्बर 2019 प्रातः 10.00 बजे तक Online आवेदन कर सकते है व डाक द्वारा 15 नवम्बर 2019 सायं 5.00 बजे तक आवेदन कर सकते है।
3. दो खाली लिफाफों जिन पर प्रार्थी का नाम एवं पता लिखा हुआ हो व पांच रू0 की एक डाक टिकट प्रत्येक लिफाफे पर लगी हो साथ में सलंग्ति करें ताकि शारीरिक दक्षता टेस्ट और लिखित परीक्षा की तारीख के बारे चयनित प्रार्थी को सूचित किया जा सके। चुंकि इसकी सुचना दो स्थानीय अखबारों में भी प्रकाशित की जाएगी, अगर किसी प्रार्थी को शारीरिक दक्षता टेस्ट एवं लिखित परीक्षा की सूचना नहीं मिलती है तो वो चम्बा वन वृत कार्यालय के दूरभाष नम्बर से इसका पता कर सकता है।
4. प्रार्थी प्रार्थना पत्र के लिफाफे के ऊपर ''वन रक्षकों की भर्ती हेतू'' लिखें व निम्नलिखित पते पर भेजें:

मुख्य अरण्यपाल चम्बा वन वृत चम्बा
जिला चम्बा हि0 प्र0
पिन कोड : 176310